

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(4756) / डी.ओ.आई. टी. / संस्था/03269/2021

जयपुर, दिनांक : 13/09/2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री/श्रीमती एकता रानी, सूचना सहायक, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर से एम.सी.ए. अंतिम वर्ष की परीक्षा में पत्राचार माध्यम से बैठने की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु सुश्री/श्रीमती एकता रानी, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. अधिकारी/कर्मचारी को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृती/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।


(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. सुश्री/श्रीमती एकता रानी, सूचना सहायक, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)